संख्या- 21/455/30-3-15-32एम/2013

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 03 मार्च, 2015

विषय - उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत रोड सेफ्टी कम्पोनेंट हेतु विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजनाओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-448स0सु0/2014-43स0सु0/13, दिनॉक 19 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत रोड सेफ्टी कम्पोनेंट के लिये विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले रू0 50.00 करोड़ के ऋण से व्यय किये जाने हेतु निम्नवत् कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजना का नाम	कराये जाने वाले कार्य	धनराशि (हजार रूपये में)
1	2	3	4
1	कैपेसिटी बिल्डिंग आफ रोड सेफ्टी सेल - एडवाइजरी टीए	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सदस्यों के प्रशिक्षण, नियोजन, समन्वय एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन।	70000
2	पालिसी रिव्यूज (ऑन ड्राइवर लाइसेंसिंग, वेहिकल टेस्टिंग इत्यादि)	ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया में सुधार।	60000
3	स्टेब्लिशमेंट ऑफ 02 वेहिकल टेस्टिंग स्टेशन	02 चार लेन के इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना (रू0 15.00 करोड़ प्रति सेंटर की दर से)	300000
4	स्टेट वाइड मीडिया कैम्पेन्स इन सपोर्ट ऑफ रोड सेफ्टी पॉलिसी	जन सामान्य को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा प्रचार अभियानों के लिये।	70000
		योग -	500000

2- कृपया उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत रोड सेफ्टी कम्पोनेंट हेतु विश्व बैंक द्वारा पोषित उक्त अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://sndesk.up.nic.in